उत्तर प्रदेश शासन

मत्स्य उत्पादन अनुभाग

संख्या-37/2023/1696/ सत्रह-म-2023-17-1002(099)/3/2021

लखनऊः दिनांक 21 नवम्बर, 2023

शुद्धि पत्र

शासनादेश संख्या-33/2023/1438/सत्रह-म-2023-17-1002(099)/1/2021 दिनांक 20.11.2023 के प्रस्तर-2 में त्रुटिवश "कुल रू0 1565.11 लाख (रू0 पन्द्रह करोड पैंसठ लाख ग्यारह हजार मात्र)" के स्थान पर "कुल रू0 1565.11 लाख (रू0 पन्द्रह करोड छांछठ लाख ग्यारह हजार मात्र)" अंकित हो गया है। उक्त शासनादेश संख्या-33/2023/1438/सत्रह-म-2023-17-1002(099)/1/2021 दिनांक 20.11.2023 के प्रस्तर-2 में अंकित " कुल रू0 1565.11 लाख (रू0 पन्द्रह करोड छांछठ लाख ग्यारह हजार मात्र)" के स्थान पर " कुल रू0 1565.11 लाख (रू0 पन्द्रह करोड पैंसठ लाख ग्यारह हजार मात्र)" पढा जाय। उक्त शासनादेश दिनांक 20.11.2023 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। शासनादेश की शेष शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

(हरीश कुमार)
अनु सचिव।

Signed by हरीश कुमार
Date: 24-11-2023 13:26:45
Reason: Approved

संख्या- /1696 (1) /सत्रह-म-2023 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. - महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
2. - महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
3. - मुख्य कोषाधिकारी,जवाहर भवन उ0प्र0 लखनऊ।
4. - संयुक्त निदेशक/ उप निदेशक मत्स्य(नियोजन) मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
5. - वित्त एवं लेखाधिकारी, मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
6. - सम्बधित कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. - वित्त (व्यय-नियत्रंण) अनुभाग-1 /वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 /नियोजन अनुभाग-3।
8. - गार्ड फाइल